Speed Post

सं./ No 8/4/2011- VS (CRS))

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066

V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066

दूरभाष-फैक्स/*Tele-fax.No.26104012* E-mail – drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

Dated 26-09-2012

To

All Chief Registrar of Births and Deaths

Sub: Clarification regarding determination of place of death of a missing person.

Sir,

Please refer to this office letter of even number dated 29th December, 2011 vide which a clarification was issued on determination of date of death of missing person in such cases where date of death is not mentioned in court order.

2. In response to above clarification, few State Governments have raised certain query on determination of place of death in such situation, where Court has not mentioned the place of death in its order. In view of the above, this office has again referred the matter to Union Law Ministry for their advice. The Ministry has advised that:

*When provisions of Section 13(3) of the RBD Act, 1969 provide for registration of death in such cases by the competent court orders only and when 'date of death' may be mentioned as the date when plaintiff approached the court, it appears to be prudent that **'place of death' may be that place where plaintiff approached the court.** In case of ambiguity, suitable clarifications may be sought from the Court itself.*

3. This letter is issued in continuation of this office letter of even number dated 29th December, 2011 with a request to circulate the contents of this letter to all the district and local level registration authorities to enable them to register the death of a missing person. This office may also be appraised about the action taken in this regard alongwith the copy of instruction issued in this regard.

Yours faithfully

S/d

(P.A. Mini)

Deputy Registrar General (CRS)

हिन्दी रूपान्तर

सं. 8/4/2011-जीवनांक(सि.र.प्र.)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
V.S.DIVISION, WEST BLOCK-1, R.K.PURAM, NEW DELHI-110066
दूरभाष-फैक्स/Tele-fex.No. 26104012 E-mail - drg.crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक: 22.10. 2012

सेवा में

सभी मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु

विषय : गुमशुदा व्यक्ति के मृत्यु के स्थान के निर्धारण संबंधी स्पष्टीकरण ।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 का अवलोकन करें जिसके द्वारा गुमशुदा व्यक्ति के मामले में न्यायालय के आदेश में मृत्यु की तारीख का उल्लेख न होने की स्थिति में मृत्यु की तारीख के निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया था ।

2. इस स्पष्टीकरण के प्रत्युतर में कुछ राज्य सरकारों ने न्यायालय के आदेश में मृत्यु के स्थान का उल्लेख न होने की स्थिति में मृत्यु के स्थान के निर्धारण के संबंध में कतिपय जानकारी मांगी थी । उपर्युक्त के आलोक में इस कार्यालय द्वारा इस मामले को परामर्श के लिए पुन: केन्द्रीय विधि मंत्रालय को भेजा गया । मंत्रालय ने परामर्श दिया कि :

‘ जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) में प्रावधान है कि ऐसे मामलों में मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण केवल सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा ही किया जाएगा और ‘मृत्यु की तारीख’ वह होगी जिस तारीख को वादी न्यायालय में गया तो ऐसे में यह उपयुक्त होगा कि ‘मृत्यु का स्थान’ वह स्थान हो सकता है जहां वादी न्यायालय में गया । अस्पष्टता के मामले में न्यायालय से ही उपयुक्त स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है ।“

3. यह पत्र इस कार्यालय के दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 के समसंख्यक पत्र के अनुक्रम में इस अनुरोध के साथ जारी किया जा रहा है कि इस पत्र के विषय से सभी जिला और स्थानीय स्तर के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को अवगत करा दें ताकि वे गुम हुए व्यक्ति की मृत्यु दर्ज कर सकें । इस संबंध में की गई कार्रवाई से एवम् इस संबंध में जारी किए गए अनुदेश की प्रति से इस कार्यालय को अवगत कराएं ।

भवदीय,

अ० खन्ना
22.10.12

(अजय खन्ना)
उप निदेशक (सी.आर.एस.)